न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 138 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. सुखाराम पुत्र गीगाराम सिरवी निवासी पाचुण्डा खुर्द तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री प्रेमसिंह टांक अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक : — 21/11/2024

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी, कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा संख्या 221 रकबा 5.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 5.0500 है. खसरा नम्बर 223 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 228 रकबा 2.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 4.0500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 17.0900, तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 1.4100 हैक्टर की आई हुई स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि में दोनो में प्रार्थी का 1/12— 1/12 वां हक हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी का सही नाम दर्ज नहीं होकर भगाराम पुत्र गीगाराम. दर्ज है। वादग्रस्थ भूमि प्रार्थी के पिता गीगाराम के नाम की खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई स्थित थी। गीगाराम का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड में सैटलमेन्ट के पश्चात विरासत का नामा0 इन्द्राज किया गया जिसका वक्त इन्द्राज राजस्व कर्मचारीयों के द्वारा प्रार्थी का सही नाम सुखाराम दर्ज नहीं कर त्रूटिवश भगाराम इन्द्राज कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को कई कठनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी को वादग्रस्थ कृषि भूमि पर मिलने वाली सरकारी सहायता राशि एवं अन्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर खसरा संख्या 221 रकबा 5.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 5.0500 है. खसरा नम्बर 223 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 228 रकबा 2.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 4.0500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 17.0900, तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 1.4100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम भगाराम के स्थान पर सुखाराम दुरूस्त किये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिए नोटिस के वास्ते जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सोजत ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि पैरा संख्या 01 में वर्णित समस्त कृषि भूमि ग्राम पाचुण्डा कलां तहसील सोजत में स्थित है। पैरा संख्या 02 से 04 के कम प्रार्थी स्वयं सिद्ध करना तथा पैरा सं0 05 व 06 को कानूनी बताया हैं। प्रकरण में तहसीदार सोजत को वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सोजत ने अपने पत्रांक / रीडर / 2024 / 1483 दिनांक 09.10.2024

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

के जरिये रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार सोजत ने रिपोर्ट पेश कर उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में भगाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र गीगाराम दुरूस्त इन्द्राज किया जाना उचित बताया है।

बहस उभयपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने जाहिर किया कि मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत जिला पाली के खसरा नम्बर 221 रकबा 5.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 5.0500 है. खसरा नम्बर 223 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 228 रकबा 2.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 4.0500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 17.0900, तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 1.4100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सेवन से भगाराम दर्ज हो गया जिसको दुरूस्त कर भगाराम के स्थान पर सुखाराम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में प्रतिवादी तहसीलदार सोजत ने कोई आपति नहीं होना जाहिर किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जबाब प्रार्थना पत्र रिपोर्ट तहसीदार सोजत, फहरिस्त मय दस्तोवज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्य यथा वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, बैक डायरी, ग्राम पंचायत सियाट का प्रमाण पत्र, तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट से प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुखाराम पुत्र गीगाराम होने की संपूष्टि होती है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में माफिक ईश्तदुआ अनुसार प्रार्थी का नाम भगाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र गीगाराम के नाम से दुरूस्त इन्द्राज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जानां उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा पाचुण्डा खुर्द पटवार हल्का सियाट तहसील सोजत जिला पाली के वर्तमान खसरा संख्या 221 रकबा 5.7100 हैक्टर, खसरा नम्बर 222 रकबा 5.0500 है. खसरा नम्बर 223 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 228 रकबा 2.2700 हैक्टर, खसरा नम्बर 229 रकबा 4.0500 हैक्टर कुल खसरा 05 कुल रकबा 17.0900, तथा खसरा नम्बर 195 रकबा 1.4100 हैक्टर की कृषि भूमि में प्रार्थी का वर्तमान इन्द्राज भगाराम पुत्र गीगाराम के स्थान पर सुखाराम पुत्र गीगाराम के नाम से दुरूस्त इन्द्राज किये जाने का आदेश तहसीलदार सोजत दिया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 21/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली